



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1945 (श10)

(सं० पटना 688) पटना, सोमवार, 21 अगस्त 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2023

एस० ओ० 231, दिनांक 21 अगस्त 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस० ओ० 126 दिनांक 21 अप्रैल, 2023, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 342 दिनांक 21 अप्रैल, 2023, द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) के स्थान पर "(ii) श्री अजय कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना" शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 9)23)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 अगस्त 2023

एस० ओ० 231, दिनांक 21 अगस्त 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एसटी०/विविध-21/2017(खंड-9) 23)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th August 2023

S.O. 231, Dated 21st August 2023— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 126, dated the 21st April, 2023, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 342, dated the 21st April, 2023, namely :-

In the said notification, for serial no. (ii), the words "(ii) Shri Ajay Kumar, Additional Commissioner of State Tax (Appeal), Central Division, Patna" shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)23)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr.Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)688-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>